कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायालय बुरहानपुर.

//परिपत्र//

क्रमांक–01/एक–15–7/15 बुरहानपुर, दिनांक–07.04.2021

वर्तमान में कोविड–19 महामारी पुनः विकराल रूप ग्रहण कर रही है और प्रतिदिन इस महामारी से ग्रस्त लोगों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस संबंध में जिला अभिभाषक संघ बुरहानपुर द्वारा भी अपने पत्र क्रमांक–डीबीए/क्यू/03 दिनांक–05.04.2021 द्वारा अपनी चिंताएं जाहिर करते हुए तथा माननीय उच्च न्यायालय की SOP क्रमांक–ए/1149 दि0–03.04.2021 पर ध्यान आकर्षित कराते हुए, अन्य वर्णित निवेदन के साथ–साथ न्यायालयीन कार्य को सीमित करने का भी निवेदन किया गया है।

बुरहानपुर जिला महाराष्ट्र की सीमाओं से तीन दिशाओं से घिरा हुआ है और महाराष्ट्र में कोविड–19 महामारी का संक्रमण गंभीर स्थिति में है। इस महामारी को दृष्टिगत रखते हुए माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर द्वारा, पूर्व के स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) दिनांक–15.01.2021 के अनुक्रम में अतिरिक्त स्टेंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) **क्रमांक–ए 1149 दिनांक–03.04.2021** के द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश को फिजिकल/ वर्चुअल हेयरिंग के अतिरिक्त उक्त महामारी की स्थिति को देखते हुए, वर्णित अन्य अतिरिक्त दिशा–निर्देश जारी करने हेतु भी अधिकृत किया गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के उक्त SOP में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए कोविड–19 महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए, आगामी आदेश तक निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:–

1– इस जिला स्थापना से संबंधित समस्त न्यायालय (तहसील स्तर पर गठित नेपानगर सिविल न्यायालय सहित) का समय **प्रातः 11:00 बजे से शाम 04:00** बजे तक रहेगा, किंतु अनुभागों एवं कार्यालय का कार्य का समय यथावत् पूर्वानुसार प्रातः 10:30 बजे से शाम 05:30 बजे तक रहेगा।

2– इस जिला स्थापना से संबंधित समस्त न्यायालय (तहसील स्तर पर गठित नेपानगर सिविल न्यायालय सहित) केवल 03 (तीन) वर्ष तथा उससे अधिक पुराने प्रकरणों, विचाराधीन बंदियों से संबंधित प्रकरणों, तथा माननीय उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा शीघ्र समयसीमा में निराकरण करने हेतु निर्देशित प्रकरणों को प्राथमिकता देते हुए सुनवायी करेंगे। अन्य प्रकरणों में भी सुनवायी की जा सकती है, परंतु प्रतिदिन सुनवायी हेतु रखे जाने वाले कुल प्रकरणों की संख्या यथासंभव 10 से अधिक नहीं होगी।

3– ऐसे प्रकरण जिनमें सुनवायी अपेक्षित नहीं है, उनके साक्षियों के समंस या वारंट जारी न किये जावें।

4– उक्त प्रकरणों में तर्क तथा साक्षियों के कथन, वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही कराने के यथा–संभव प्रयास किये जायें, यदि भौतिक सुनवायी आवश्यक समझी जावे तो सोशन डिस्टेंसिंग व मास्क संबंधी तथा अन्य कोरोना गाईड लाईन का सख्ती से पालन किया जावे।

5– ऐसे सिविल के प्रकरण, जो 03 वर्ष या उससे अधिक पुराने हैं या त्वरित प्रकृति के सिविल प्रकरणों, जिनमें गवाहों के बयान होना है तो उन प्रकरणों में सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत, गवाहों के बयान कमीशन पर न्यायालय के बाहर कराये जा सकते हैं तथा ऐसे सिविल प्रकरण, जिनमें माननीय उच्च या उच्चतम न्यायालय द्वारा समयसीमा में शीघ्रता से निराकरण किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है, में गवाह के कथन कमीशन या न्यायालय के माध्यम से भी कराये जा सकेंगे।

6– उक्त सिविल प्रकरणों में यदि पक्षकार या अभिभाषक उपस्थित नहीं हों तो विपरीत आदेश करने के बजाये उदारतापूर्वक विचार करते हुए कम से कम एक उचित अवसर उपलब्ध कराते हुए कार्यवाही करे।

7– यदि प्रकरण की आदेश पत्रिका पर पक्षकारों अथवा अभिभाषकगण के हस्ताक्षर आवश्यक हों तभी लिये जावें, इस हेतु पहले न्यायालय के पीठासीन अधिकारी आदेश पत्रिका लिखवाकर स्वयं उस पर हस्ताक्षर करेंगे, तत्पश्चात् वीडियो कान्फ्रेंसिंग रूम में आदेश पत्रिका या फाईल भिजवाकर पक्षकारों/अभिभाषकगण के हस्ताक्षर, संबंधित रीडर के माध्यम से लिये जायेंगे।

8– पेशी तारीख पर लगने वाले प्रकरणों में यह सुनिश्चित किया जावे कि कोई अभिभाषक यदि 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं तो उनकी सुविधा व स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए तिथि नियत की जावे और उनकी ओर से निवेदन किये जाने पर अधिकतम दो माह की तिथि निर्धारित की जा सकती है।

9– न्यायाधीशगण/अभिभाषकगण/न्यायालयीन एवं अनुविभागीय कर्मचारीगण/अभियोजन अधिकारीगण, शासन द्वारा कोविड–19 के संबंध में जारी की गयी गाईड–लाईन का अक्षरशः पालन करें।

10– अभिभाषकगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वे उन्हीं पक्षकारों को न्यायालय परिसर में आहूत करें, जिनकी संबंधित प्रकरणों में आवश्यकता हो तथा यह भी सुनिश्चित करें कि पक्षकारों के साथ कोई अन्य अनावश्यक व्यक्ति न्यायालय परिसर में प्रवेश न करे।

11– प्रायः यह देखने में आ रहा है कि कई बार कर्मचारी/अभिभाषक तथा पक्षकार मास्क से **नाक एवं मुंह** पूर्णतः नहीं ढंकते हैं, जो उनके साथ–साथ उनके संपर्क में आने वाले समस्त व्यक्तियों के लिये घातक हो सकता है, अतः न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी/अनुभागों के प्रभारी अधिकारी अपनी–अपनी

न्यायालय तथा अनुभागों में यह सुनिश्चित करें कि **कर्मचारी नियमानुसार मास्क** पहन रहे हैं अथवा नहीं, और सोशन डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं अथवा नही? यदि पालन नहीं कर रहे हैं तो तत्काल कार्यालय को लिखित रूप में सूचित करें।

12– अभिभाषक संघ के अध्यक्ष तथा सचिव भी इस संबंध में ध्यान रखें कि समस्त अभिभाषकगण तथा उनके पक्षकार नियमानुसार मास्क पहन रहे हैं अथवा नहीं और सोशन डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं अथवा नहीं ? यदि इसमें कोई लापरवाही हो तो वे तत्काल अपने अभिभाषक तथा पक्षकारों को कड़े निर्देश दें।

13– न्यायालयीन तथा अनुविभागीय कर्मचारीगण अपने–अपने कर्तव्य स्थल से अन्य न्यायालय में अथवा अनुभागों में बिना किसी अनिवार्य कार्य के, अनुमति प्राप्त किये बिना प्रवेश नहीं करेंगे। यदि वे उक्त निर्देश के विरूद्ध प्रवेश करते पाये जायें तो संबंधित पीठासीन अधिकारी तथा अनुभागों के प्रभारी अधिकारी तत्काल कार्यालय को सूचित करे, ताकि तद्नुसार उनके विरूद्ध यथोचित् कार्यवाही की जा सके ।

14– यदि न्यायाधीशगण को जिला न्यायाधीश या किसी वरिष्ठ न्यायाधीश से चर्चा करना हो तो बी0एस0एन0एल0 द्वारा स्थापित ईपीबीएक्स के माध्यम से चर्चा करें। अनावश्यक विश्राम कक्ष में प्रवेश न करे और यदि जिला न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश से मिलना अत्यावश्यक हो तो ऐसी स्थिति में अनुमति प्राप्त किये बिना प्रवेश नहीं करेंगे।

15– प्रशासनिक अधिकारी/उप–प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय अनुभाग के अन्य कर्मचारी सहित अन्य अनुभाग के अधिकारी/कर्मचारी, **सीधे जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रशासनिक नस्तियां लेकर उपस्थित नहीं होंगे। वे ऐसी नस्तियां न्यायालय के बोर्ड प्यून अथवा वाहन चालक के माध्यम से ही जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और यदि जिला न्यायाधीश आवश्यक समझेंगे तो संबंधित अधिकारी/कर्मचारी को आहूत कर सकते हैं।**

16– इसी प्रकार अनुविभाग में पदस्थ कर्मचारी, अपने प्रभारी अधिकारी के समक्ष सीधे नस्तियां लेकर उपस्थित नहीं हो सकेंगे। वे नस्तियां न्यायालय के बोर्ड प्यून या लिपिक के माध्यम से ही प्रभारी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

17– यदि कोई अभिभाषक/अभियोजन/सहायक अभियोजन अधिकारी, कोविड–19 महामारी का पाजेटिव पाया जाता है तो जिला अभिभाषक संघ तथा अभियोजन कार्यालय इस संबंध में जानकारी कार्यालय को तत्काल उपलब्ध करावेंगे।

18— कोई भी अधिकारी/कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के मुख्यालय से प्रस्थान नहीं करेगा।

19— जिला नाजिर न्यायालय कक्ष तथा अनुभागों सहित न्यायालय परिसर का भ्रमण कर साफ–सफाई की समीक्षा करेंगे। इस संबंध में प्रभारी अधिकारी भी समय–समय पर निरीक्षण करते रहेंगे।

20— कोविड–19 से संबंधित निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने संबंधी गठित कमेटी, उक्त न्यायालयीन कार्य समयावधि में किसी भी समय न्यायालय परिसर/अनुभागों का औचक निरीक्षण करेगी तथा इस संबंध में प्रत्येक बुधवार तथा शनिवार को प्रतिवेदन कार्यालय में प्रेषित करेगी।

सही/
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बुरहानपुर

पृ0क्रमांक–350/एक–15–7/15 बुरहानपुर, दिनांक–07.04.2021
प्रतिलिपि'–

(1) माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
(2) समस्त न्यायालय एवं अनुभाग तथा प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय बुरहानपुर
(3) जिला अभिभाषक संघ बुरहानपुर
(4) लोक अभियोजक/जिला अभियोजन कार्यालय बुरहानपुर
(5) जिला दंडाधिकारी बुरहानपुर
(6) पुलिस अधीक्षक बुरहानपुर
(7) जेल अधीक्षक, जिला जेल खंडवा।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
(8) कोविड–19 के दिशा–निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के संबंध में गठित कमेटी के अध्यक्ष की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
(9) जिला नाजिर की ओर 03 प्रतियां, विभिन्न सूचना–पटल पर चस्पा करने हेतु प्रेषित।

7/4/21

जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बुरहानपुर